राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/अति.–सहा.वि. अधिकारी/सेवा.निवृत्ति/2021/406 जयपुर,दिनांक: 8-2-2021

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक अति./सहायक विकास अधिकारी के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है:–

क्र. स.	नाम कार्मिक सर्व श्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापित स्थान	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने की दिनांक
1.	लिछमणराम	अति. विकास अधिकारी	पं.स. रतनगढ़ (चुरू)	30.06.2021
2.	प्रदीप कुमार	सहा. विकास अधिकारी	पं.स. निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ)	30.04.2021
3.	मदन लाल	सहा. विकास अधिकारी	पं.स. बेगूँ (चित्तौड़गढ)	31.03.2021
4.	दिनेश चंद्र लाटा	सहा. विकास अधिकारी	पं.स. जमवारामगढ़ (जयपुर)	28.02.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या–3 पर अंकित श्री मदन लाल के विरूद्व विभाग द्वारा सीसीए नियम–16 में ज्ञापन क्रमांक 341 दिनांक 02.02.2021 जारी किया हुआ है।

क्रम संख्या–4 पर अंकित श्री दिनेश चंद्र लाटा के विरूद्व सीसीए नियम–16 में जिला परिषद, जयपुर द्वारा ज्ञापन क्रमांक 172 दिनांक 04.02.2015 जारी किया हुआ है व मा. राज. उच्च न्याया. जयपुर में एस. बी. सिविल रिट नं. 2733/2015 विचाराधीन है, विभाग द्वारा सीसीए नियम–17 में ज्ञापन क्रमांक 343 दिनांक 02.02.2021 जारी किया हुआ है। शेष (क्रम संख्या–1 व 2 पर अंकित कार्मिकों) के विरूद्व आज तक:–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (ा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रो के आधार पर किये गये है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–संबंधित।
5. आदेश में वर्णित संबंधित अति./सहायक विकास अधिकारी।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (ा)